

The Deputy General Manager, Corporate Relationships Dept. BSE Ltd. Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001. Scrip Code-532 477	The Deputy General Manager, Listing Dept. National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051. Scrip Symbol/Series-UNIONBANK-EQ
---	--

Dear Madam /Sir,

Subject: Notice of 16th Annual General Meeting of the Bank, Election of Shareholder Directors, Book Closure and E-Voting

This is to inform you that the 16th Annual General Meeting (AGM) of the Bank is scheduled to be held on Wednesday, 27th June 2018 at 11.00 A.M. at Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400020 to transact the business detailed in the notice.

A copy of the Notice of the Annual General Meeting is enclosed for your record.

Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Thursday, 21st June, 2018 to Wednesday, 27th June, 2018 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further, in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the Annual General Meeting by electronic means. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM ("remote e-voting") and Voting at the Venue will be provided with the help of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The remote e-voting period commences on Saturday, 23rd June, 2018 (9:00 am IST) and ends on Tuesday, 26th June, 2018 (5:00 pm IST).

Important Dates:

Particulars	Date
Specified-Date For Election i.e. to Nominate, Contest and Vote in the Election of three shareholder directors	18 th May, 2018
Last Date for receipt of Nomination for Election of Shareholder Directors	12 th June, 2018



Particulars	Date
Scrutiny of Nominations	13 th June 2018
Cut-Off Date for E-Voting for Other Agenda Items	20 th June 2018
Book Closure	21 st June, 2018 to 27 th June, 2018 (Both days inclusive)
Withdrawal of Candidature	22 nd June, 2018
Last date to submit proxy form & Appointment of authorised representative	22 nd June, 2018
E-Voting	23 rd June, 2018 to 26 th June, 2018

The Notice of the Annual General Meeting and Annual Report of the Bank for the year 2017-18 has been made available on the Bank's website www.unionbankofindia.co.in.

This disclosure is made under Regulation 29 & 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking you.

Yours faithfully,

Mangesh Mandrekar

(Mangesh Mandrekar)
Company Secretary





16वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना
NOTICE OF 16th ANNUAL GENERAL MEETING

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") बुधवार, दिनांक 27 जून, 2018 को प्रातः 11.00 बजे रामा एंड सुंदरी वाटूमल ऑडिटोरियम, के. सी. कॉलेज, दिनशां वाचा रोड, चर्चगेट, मंबई-400020 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

सामान्य कारोबार

मद क्र. 1

दिनांक 31 मार्च, 2018 के तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक की गतिविधियों तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण हेतु.

विशेष कारोबार

मद क्र. 2

एफपीओ/ राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमान आबंटन आदि के माध्यम से पूंजी का अर्जन.

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना.

संकल्प किया कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम") के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("योजना") तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 यथा समय-समय पर संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड ("सेबी") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिए आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2009 ("आईसीडीआर विनियमन") यथा अद्यतन संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश यदि कोई हों; बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना/ परिपत्र एवं स्पष्टीकरण तथा समय-समय पर लागू अन्य नियमों एवं सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 ("लिस्टिंग विनियमन") संबंधित प्राधिकरणों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यक्षीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को प्रदान की जाए एवं एतद्वारा प्रदान की जाती है कि प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से भारत या भारत से बाहर ₹6,850 (रुपये छः हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र) के इक्विटी शेयर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) जो ₹1,168.57 करोड़ (रुपये एक हजार एक सौ अड़सठ करोड़ एवं सत्तावन लाख मात्र) की वर्तमान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी सहित ₹3,000 करोड़ (रुपये तीन हजार करोड़ मात्र), जो बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा इस प्रकार कि किसी भी

स्थिति में केंद्र सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो, चाहे बाजार मूल्य से छूट पर अथवा प्रीमियम पर तथा एक या अधिक अवसरों पर, एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी), विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमनों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु अधिकृत हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) किया जाए.

"पुनः संकल्प किया कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन सार्वजनिक निर्गम (यथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम) और/ या अधिकार निर्गम और/ या निजी स्थापन, अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन, अधि आबंटन विकल्प सहित या रहित के जरिये होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थापन या आबंटन, अधिनियम आईसीडीआर विनियमन, लिस्टिंग विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

"पुनः संकल्प किया कि बोर्ड को अधिकार होगा कि वह निर्गम ऐसे मूल्य या मूल्यों पर इस प्रकार से और यदि आवश्यक हो, तो लीड मैनेजरों और/ अभिगोपकों और/ या अन्य परामर्शदाताओं या अन्यथा के परामर्श से अपने पूर्ण विवेकानुसार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर तथा आईसीडीआर विनियमनों, अन्य विनियमनों और लागू अन्य कानूनों, नियमों, विनियमनों तथा दिशानिर्देशों के अधीन ऐसे मूल्य या मूल्यों पर जारी करे, जो आईसीडीआर विनियमनों के संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम न हो; चाहे ऐसे निवेशक (गण) बैंक के विद्यमान सदस्य हों या नहीं."

"पुनः संकल्प किया कि लिस्टिंग के प्रावधानों, विनियमनों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्यक्षीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि आईसीडीआर विनियमनों के अध्याय VIII में उल्लेख है,

के अनुसार आईसीडीआर विनियमनों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो."

"पुनः संकल्प किया कि आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

ए) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल आईसीडीआर विनियमन के अध्याय VIII के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 12 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.

बी) आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 85(1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है.

सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख, आईसीडीआर विनियमन के अनुसार होगी.

"पुनःसंकल्प किया कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं लिस्टिंग के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का बोर्ड को अधिकार है."

"पुनःसंकल्प किया कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नए इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन अधिनियम द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्यधीन होगा."

"पुनः संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैटक) विनियमन 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्यधीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई है, के लिए पात्र होंगे."

"पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिए बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन, आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिए, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"पुनः संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिए बुक रनर(रॉ), लीड मैनेजर(रॉ), बैंकर्स, अभिगोपक(कों), डिपॉजिटरी(रियों), रजिस्ट्रार(रॉ), लेखापरीक्षक(कों) तथा अन्य ऐसी एजेन्सी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिए बोर्ड को अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है."

"पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्पशन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है."

"पुनः संकल्प किया कि इनमें से ऐसे शेयर/प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है."

"पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिए इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."

"पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा अधिकृत किया जाता है."


मद क्र.3

केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से वैध नामांकन वाले तीन निदेशकों के निर्वाचन हेतु, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 (इसके बाद "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 9 (3) (i) के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद "विनियमन अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970/1980 (इसके बाद "योजना" कहा जाएगा) एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैटक) विनियमन, 1998 (इसके बाद "विनियमन" कहा जाएगा) अधिनियम की धारा 19 के अनुसार एवं अधिसूचना संख्या डीबीओडी क्र. बीसी क्र. 46 एवं 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007 के साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी क्र. बीसी क्र. 95/29.39.001/2010-11

दिनांक 23 मई 2011 (इसके बाद आरबीआई "अधिसूचना" कहा जाएगा) के अनुसार एवं भारत सरकार के पत्र संख्या एफ संख्या 16/83/2013-BO.1 दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अनुसार, सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015, 20 जून 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-शासकीय निदेशकों के रूप में विचार हेतु मानदंड (इसके बाद "भारत सरकार दिशानिर्देश" कहा जाएगा) एवं निर्वाचन के बाद आशोधनों सहित एवं रहित निम्नलिखित साधारण संकल्प लिया जाता है.

"संकल्प लिया गया कि संबंधित योजना के साथ विनियमनों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर धारा 9(3)(i) के अनुक्रम में केंद्र सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों में से एवं को निदेशकों के रूप में निर्वाचित किया गया है बैंक के निर्वाचित निदेशकों को **28 जून 2018** से कार्यालय संभालने के लिए अधिकृत किया जाए एवं वे निदेशकों के रूप में कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे."

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 10 मई, 2018

नोट:

1. व्याख्यात्मक विवरण

बैठक की कारोबार कार्यसूची क्रमांक 2 और 3 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्वयं के स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु (बैंक के अधिकारी अथवा कर्मचारी को छोड़कर) उपस्थित रहने व वोट देने हेतु परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अनुसार परोक्षी प्रपत्र प्रदान करने वाला व्यक्ति उस बैठक में, जिससे संबंधित प्रपत्र है, व्यक्तिगत रूप से वोट देने का हकदार नहीं होगा. वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक फार्म "बी" के अलावा परोक्षी का अन्य कोई भी प्रपत्र वैध नहीं होगा.

परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में **कंपनी सचिव को निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वां तल, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021** के पते पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 22 जून, 2018** को बैंक के कार्य-समाप्ति सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र, यदि कोई है तो उसके साथ, जिसके अन्तर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस मुख्तारनामा की प्रति अथवा अन्य अधिकार पत्र, जिसे पब्लिक नोटरी अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया गया हो, जब तक कि इस प्रकार के मुख्तारनामा अथवा अन्य अधिकार पत्र को बैंक के पास पूर्व में ही जमा और पंजीकृत न किया गया हो, अवश्य प्राप्त होना चाहिए.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में, उक्त पते पर बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 22 जून, 2018** को कार्य-समाप्ति अर्थात् सायं 5.00 बजे तक या उससे पूर्व जमा न करा दिया गया हो.

4. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ, पहले से ही छपे हुए अपेक्षित ब्योरे, ई-वोटिंग लॉग-इन आई डी व पासवर्ड के साथ, प्रेषित किया गया है. शेयरधारकों को यह विकल्प है कि वे ई-वोटिंग प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं. लेकिन जो शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग नहीं करते हैं, वे एजीएम की तिथि पर, बैठक के स्थान पर आयोजित होने वाली निर्वाचन प्रक्रिया में अपना वोट डाल सकते हैं. इस प्रकार के शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पर्ची में छपे हुए ब्योरे का सत्यापन करें और खाली स्थान, यदि कोई है, तो उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सुपुर्द करें. शेयरधारकों के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर "परोक्षी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए. उपस्थिति पर्ची एजीएम के स्थान पर प्रवेश के समय सुपुर्द की जाए और उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र को मतदान के समय मतपत्र प्राप्त करने हेतु सुपुर्द किया जाए.

5. अंतरण दायर करना

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र/ पत्रों को अंतरण हेतु बैंक के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) को भेजा जाना चाहिए.

6. बुक क्लोजर

शेयर धारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर **गुरुवार, दिनांक 21 जून, 2018 से बुधवार दिनांक 27 जून, 2018** तक (दोनों दिन मिलाकर) वार्षिक साधारण बैठक के उद्देश्य से बंद रहेगा.

7. अदावाकृत/अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश पत्र का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश पत्र प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के आरटीए से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवा प्रभाग से संपर्क करें.

शेयरधारकों से ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/अदत्त रहने पर 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अगले 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा.

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/अदत्त रहने पर, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित करना अपेक्षित है. बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2009-10

तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है. वित्त वर्ष 2010-11 से अदत्त लाभांश के ब्यौरे हेतु संबंधित शेयरधारक बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध अदावाकृत लाभांश सर्च सुविधा के लिंक: <http://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividend> का अवलोकन कर सकते हैं.

8. पता/ बैंक ब्यौरा/ बैंक खाता मैडेट में परिवर्तन :

(ए) लाभांश का भुगतान करने हेतु बैंक एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत और संबंधित डीपॉजिटरी से आरटीए द्वारा डाउनलोड किये गये बैंक खाते के ब्यौरे का उपयोग करेगा. जिन सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखे हुए हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डीपॉजिटरी खाते में रजिस्टर्ड बैंक खाते के विवरणों को संबंधित डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अद्यतन किया जाना चाहिए; ताकि बुक क्लोजर प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व इसे अद्यतन किया जा सके. बैंक अथवा इसके शेयर अंतरण एजेन्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे शेयरों के धारकों से बैंक विवरणों अथवा बैंक मैडेट में किसी परिवर्तन हेतु सीधे ही प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकती है. ऐसे परिवर्तनों को केवल सदस्य के डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किया जाए.

(बी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर मौजूद हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं, तो इसकी सूचना बैंक के आरटीए को विधिक दस्तावेजी सबूत एवं हस्ताक्षरित औपचारिक अनुरोध आवेदन के साथ निम्न पते पर प्रस्तुत करें :

डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि.

यूनिट : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
प्लॉट क्र. बी 5, पार्ट बी,
एमआईडीसी, क्रॉस लेन, मरोल
अंधेरी (पूर्व),
मुंबई - 400 093

(सी) बैंक का ब्यौरा प्रदान किए जाने वाला फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है तथा बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर भी उपलब्ध है.

(डी) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में यदि कोई परिवर्तन करते हैं तो इसकी सूचना केवल अपने संबंधित डीपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दें, न कि बैंक अथवा बैंक के आरटीए को.

(ई) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के आरटीए के साथ किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित फोलियो क्रमांक (भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) और संबंधित डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी क्रमांक (इलेक्ट्रॉनिक/ डीमेट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें.

9. स्थिति में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि. को तत्काल सूचित करें:

ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन.

बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले नहीं दिया गया हो.

10. फोलियों का समेकन

एक से अधिक खातों में एक जैसे नामों से या संयुक्त नामों से उसी क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे उन सभी शेयरों को एक ही खाते में समेकन करने हेतु अपने शेयर प्रमाणपत्र बैंक के आरटीए, डाटामैटिक्स बिजनेस सोल्यूशन लि. को प्रेषित करें.

11. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक में पंजीकृत नहीं करवाया है, उनको वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 की हार्ड प्रतियां भारतीय डाक/कुरियर सेवा द्वारा भेजी जाएंगी तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ई-मेल आईडी बैंक/डीपी में पंजीकृत करवाया है, उनको सॉफ्ट प्रतियां ई-मेल द्वारा भेजी जायेंगी. बैंक की वेबसाइट पर भी वार्षिक रिपोर्ट को रखा गया है. वार्षिक साधारण बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बांटी नहीं जाएंगी और इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि अपने साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ लाएं.

12. निर्दिष्ट और कट-ऑफ तारीख

ए) निर्वाचन हेतु निर्दिष्ट-तारीख :

विनियमन के नियम 12 के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशकों के चयन हेतु चुनाव में अर्थात् मनोनीत होने, चुनाव लड़ना और वोट डालने के पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से **शुक्रवार, 18 मई 2018** को निर्दिष्ट तिथि किया गया है, जैसा सूचना के कार्यसूची मद संख्या 3 में उल्लिखित है.

बी) अन्य कार्यसूची मदों के लिए ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तारीख

संशोधित कंपनी नियम(प्रबंधन एवं प्रशासन) 2014 के नियम 20 यथा संशोधित के अनुसार, **कार्यसूची मदें संख्या 1 एवं 2** के संबंध में शेयरधारकों को वोट देने के अधिकार के लिए **बुधवार 20 जून 2018** निर्दिष्ट तारीख माना जाएगा.

13. वोट देने का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, **बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के 10 प्रतिशत से अधिक** के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के लिए वोट देने का अधिकारी नहीं होगा.

उपर्युक्त के अधीन तथा विनियमन के नियम 68 के अनुसार कोई शेयरधारक, जो निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **शुक्रवार, 18 मई 2018** और **कट-ऑफ तारीख अर्थात् बुधवार, 20 जून 2018** को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, तो वह हाथ उठाकर वोट देने पर एक वोट देने और मतदान होने पर उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा/होगी.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियम 1998 के नियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के

लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा. इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही नामांकन करने, बैठक में वोट देने का अधिकारी होगा.

14. लेखों की जानकारी

जो शेयरधारक लेखों पर किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस हेतु बैंक को लिखें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त हो जाना चाहिए; ताकि प्रबंधन द्वारा वह सूचना तैयार रखी जा सके. जवाब केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही दिये जाएंगे.


15. भौतिक रूप से धारित शेयरों का डिमैटेरियलाइजेशन

शेयरों को भौतिक रूप से धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपने शेयरों को डिमैटेरियलाइज रूप में परिवर्तित करायें, जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करना होगा, जहां वे अपना संबंधित डीमैट खाता संचालित कर रहे हैं.

16. ई-वोटिंग

- I. सेबी (लिसिंग दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2015 के विनियमन 44 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के नियम 20 के प्रावधानों के अनुपालन में बैंक को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वार्षिक साधारण बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने और ई-वोटिंग सेवाओं के द्वारा कारोबार की सुविधा प्रदान की गई है.
- II. वोटिंग की सुविधा वार्षिक साधारण बैठक में रहेगी और इस बैठक में उपस्थित वे शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- III. जिन शेयरधारकों ने वार्षिक साधारण बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दुबारा वोट नहीं दे सकेंगे.
- IV. वार्षिक साधारण बैठक ("रिमोट ई-वोटिंग") स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तथा बैठक स्थल पर वोटिंग की सुविधा **सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** द्वारा प्रदान की जाएगी.
- V रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **शनिवार दिनांक 23 जून 2018 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी)** से प्रारम्भ होकर **मंगलवार, दिनांक 26 जून 2018 (सायं 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. बैंक के शेयरधारक जो, **निर्दिष्ट-तारीख शुक्रवार 18 मई, 2018** को फिजिकल या डिमैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हैं, **कार्यसूची मद संख्या 3** के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, बैंक के शेयरधारकों, जो कट ऑफ तारीख **बुधवार, 20 जून 2018** को फिजिकल या डिमैटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हैं तो **कार्यसूची मदें संख्या 1 एवं 2** के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग को बंद कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.

VI रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

- (i) ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग ऑन करें www.evotingindia.com.
- (ii) अपना वोट देने के लिए  टैब पर क्लिक करें.
- (iii) अब अपना यूजर आईडी एवं इमेज सत्यापन प्रविष्ट करके लॉग इन पर क्लिक करें.

User ID *

Enter the Characters Displayed *

163975

[Refresh](#)

Click to use Virtual Keyboard

- (ए) सीडीएसएल हेतु: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
- (बी) एनएसडीएल हेतु: 8 अंकों की क्लाइंट आईडी के बाद 8 अंकों की कैरेक्टर डीपी आईडी,
- (सी) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी है.
- (iv) यदि आपके शेयर डीमैट रूप में है एवं आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन कर पूर्व वोटिंग में किसी कंपनी या बैंक को वोट कर दिया है, तो आपकी विद्यमान पासवर्ड का उपयोग किया जाएगा.
- (v) यदि आप प्रथम बार उपयोगकर्ता है तो निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

User ID *

PAN *

Any one of the details given below has to be mentioned for the first time login. Kindly enter the details as available on the demat account or folio number.

Bank Account Number #

DOB or Date Of Inc. # (dd/mm/yyyy)

* Field Mandatory.
Any one filed should be mandatorily entered.

पैना	<ul style="list-style-type: none"> आयकर विभाग(डीमैट शेयरधारक के साथ-साथ भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) द्वारा जारी 10 अंकों का अल्फा-न्यूमैरिक पैना की प्रविष्टि करें. जिन सदस्यों ने अपने पैना कार्ड को बैंक/डिपॉजिटरी पार्टिसीपेंट के साथ अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कि पैना फील्ड अथवा सीडीएसएल द्वारा प्रेषित ईमेल में उल्लिखित उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास में मुद्रित क्रम संख्या का उपयोग करें
लाभांश का बैंक विवरण अथवा जन्म-तिथि (डीओबी)	<ul style="list-style-type: none"> लॉग इन करने के लिए, बैंक में अथवा आपके डीमैट खाते में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (दिनांक/माह/वर्ष प्रारूप में) प्रविष्टि करें. यदि डिपॉजिटरी या बैंक में दोनों विवरण दर्ज नहीं हुये है, तो कृपया निर्देश (iii) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड के अनुसार सदस्य आईडी / फोलियो संख्या प्रविष्टि करें.

- (vi) इन विवरणों की उचित रूप से प्रविष्टि के बाद "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें.
- (vii) इसके बाद भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्य सीधे कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे.
- (viii) अब डीमैट रूप में शेयर धारित सदस्य 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू में जाएं, जिसमें नए पासवर्ड फील्ड में उन्हें अनिवार्यतः अपने लॉग-इन पासवर्ड की प्रविष्टि करनी होगी. कृपया ध्यान दें, कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारकों द्वारा किसी भी अन्य कंपनी के प्रस्तावों हेतु वोटिंग के लिए किया जाना चाहिए, जिस पर वे वोट देने के पात्र हैं, बशर्ते कंपनी सीडीएसएल के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प दें. **आपको यह सलाह दी जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें.**

Kindly set a password for your login.

Member Id:

New Password*:

Confirm Password*:

Click to use Virtual Keyboard

- (ix) भौतिक रूप में शेयर धारित सदस्यों हेतु, इस सूचना में दिए संकल्पों पर केवल ई-वोटिंग के लिए विवरणों का उपयोग किया जा सकता है.
- (x) "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के ईवीएसएन पर क्लिक करें.
- (xi) वोटिंग पृष्ठ पर, आपको कार्यसूची मद क्र. 1 एवं 2 के लिए "संकल्प विवरण (रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन)" दिखाई देगा एवं इसी के साथ-साथ वोटिंग विकल्प "हाँ/नहीं" के लिए प्राप्त होगा. स्वेच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प का चयन करें. हाँ विकल्प का अर्थ है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नहीं का अर्थ है कि आप संकल्प से असहमत हैं.
- (xii) कार्यसूची मद क्र. 3 यथा शेयर धारक निदेशकों के निर्वाचन हेतु वोट करते समय आप उम्मीदवारों के नाम देख सकते हैं तथा नाम के सापेक्ष आपके लिए वोट देने का विकल्प उपलब्ध होगा. आप अधिकतम तीन उम्मीदवारों को वोट दे सकते है.
- (xiii) सम्पूर्ण संकल्प विवरण देखने के लिए "रिसोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें.
- (xiv) संकल्प चयन के बाद आपको वोट देने का निर्णय करना होगा, और इस हेतु "SUBMIT" पर क्लिक करें. एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट परिवर्तित करें.
- (xv) संकल्प पर अपना वोट "पुष्टि" (CONFIRM) करने के बाद आपको वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी.
- (xvi) वोटिंग पृष्ठ के "Click here to print" पर क्लिक कर आपके द्वारा दिए गए वोट का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं.
- (xvii) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल गया है, तो उसे अपनी यूजर आईडी एवं छवि सत्यापन कूट प्रविष्टि कर "Forgot Password" पर क्लिक करना होगा एवं सिस्टम द्वारा दिए गए विवरण की प्रविष्टि करनी होगी.

Please enter your details here, only if you are a demat account holder and have registered earlier. If you wish to create a password of your choice, please enter User ID, PAN and DOB or Bank Details.

User ID *

PAN *

Email Id #
Expected: *****@*****.COM

Mobile No. #
Expected: *****

Bank Account Number #
Expected: *****

DOB or Date of Inc. # (dd/mm/yyyy)

Enter the Characters Displayed *
726527

* Field Mandatory.
Any one field should be mandatorily entered.

(xviii) शेयर धारक एंड्रोएड आधारित मोबाइलों पर उपलब्ध सीडीएसएल के एम-वोटिंग मोबाइल ऐप से अपना वोट दे सकते हैं. गूगल प्ले स्टोर से एम-वोटिंग ऐप डाउनलोड किया जा सकता है. ऐपल एवं विंडोज फोन के उपयोगकर्ता क्रमशः ऐप स्टोर एवं विंडोज फोन स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. मोबाइल ऐप से वोट करते समय ऐप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें.

(xix) गैर-वैयक्तिक शेयर धारकों एवं अभिरक्षकों हेतु नोट

- गैर-वैयक्तिक शेयर धारकों (जैसे वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और अभिरक्षकों से, www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करके स्वयं को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करना अपेक्षित है.
 - संस्था के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें.
 - लॉग-इन विवरण प्राप्त होने के उपरांत एडमिन लॉग इन और पासवर्ड के माध्यम से एक अनुपालन यूजर बनाया जाए ताकि अनुपालन यूजर जिस खाते को वोट देना चाहता है, उसको लिंक करने में सक्षम हो.
 - लॉग-इन लिंक खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जाए तथा खातों का अनुमोदन होने पर वे अपना वोट देने में सक्षम होंगे.
 - अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो जांचकर्ता द्वारा सत्यापन हेतु सिस्टम में उसकी पीडीएफ प्रति अपलोड की जाए.
- VII. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, www.evotingindia.com पर उपलब्ध “अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न” (FAQs) और ई-वोटिंग मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नं.: 1800225533 पर संपर्क किया जा सकते हैं.
- VIII. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से जुड़े समस्त शिकायतों के लिए श्री राकेश दलवी, उप प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफ़तलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करें या 1800225533 पर कॉल करें.
- IX. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ की तारीख/निर्दिष्ट को शेयरहोल्डर के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गये लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग द्वारा या बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा
- X. वोटिंग की जांच करने और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, कंपनी सचिव, मेसर्स एस एन अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी (SNA&CO) को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है.
- XI. वार्षिक साधारण बैठक शुरू होने के बाद अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उर्न्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है.
- XII. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम 48 घंटों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के

अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जायेगी.

17. वोटिंग के परिणाम :

रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक स्थल की वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट: www.evotingindia.com पर परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दिया जायेगा. ये परिणाम तुरन्त स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजे जाएंगे.

18. बैठक में ई वोटिंग के लिए जांचकर्ता :

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि कार्यसूची की मद संख्या 1-3 के लिए कंपनी सचिव, SNA&CO जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे. वे बैठक में ई-वोटिंग के लिए अन्य शेयरधारक के साथ भी जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे.

चुनाव के लिए ई-वोटिंग, बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर और SNA&CO (स्वतंत्र सलाहकार एवं जांचकर्ता) एवं केंद्र सरकार के नामित, जो एक निरीक्षक और द्वितीय जांचकर्ता के रूप में कार्य करेगा, के पर्यवेक्षण में सम्पन्न किया जाएगा.

व्याख्यात्मक विवरण

1. एफपीओ/राइट्स/क्यूआईपी इत्यादि के द्वारा पूंजी का निर्गम:

बासल-III विनियामकों की अपेक्षानुसार बैंक को 31 मार्च, 2019 तक इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में कॉमन इक्विटी टीयर-1 (सीईटी-1) न्यूनतम 5.50% व पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के रूप में 2.50%, टीयर 1 अनुपात (सीसीबी सहित) 9.50% और समग्र सीआरएआर (सीसीबी सहित) को 11.50% बनाए रखना है.

प्रतिवर्ष (वित्त वर्ष 2019 तक) 0.625% पूंजी संरक्षण बफर की बढ़ती अपेक्षाओं, बैंक की भावी विस्तार एवं समृद्धि योजनाओं एवं फलस्वरूप पूंजी प्रभार के कारण पूंजी की बढ़ती अपेक्षाओं के चलते बैंक को अपनी पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है; ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सुदृढ़ करते हुए बासल -III की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके.

विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने **₹6,850 करोड़ (रुपये छः हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र)** की इक्विटी पूंजी जुटाने का फैसला किया है, जो भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत स्थापन सहित निजी स्थापन और/या सरकार तथा दूसरे नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमनों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है. बढ़ी हुई पूंजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा.

दिनांक 23 जून, 2017 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में, पब्लिक इश्यू (अर्थात फॉलो-ऑन पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या निजी प्लेसमेंट, अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी) और/या भारत सरकार या अन्य संस्थाओं को अधिमानी आबंटन और/या किसी अन्य माध्यम से, भारत सरकार और अन्य नियामक प्राधिकारणों और सेबी आईसीडीआर नियामकों से अनुमोदन की शर्त पर, बैंक को **₹4,950 करोड़ (रुपये चार हजार नौ सौ**

पचास करोड़ मात्र) तक की इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन प्राप्त हुआ है, जो दिनांक 22 जून, 2018 तक वैध है।

बैंक ने दिसंबर 2017 में पात्र संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी) के लिए अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को प्रति शेयर ₹154.65 के निर्गम मूल्य पर 12,93,24,280 इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर ₹144.65 के शेयर प्रिमियम सहित) के आबंटन द्वारा **₹2,000 करोड़ (रुपये दो हजार करोड़ मात्र)** की इक्विटी पूंजी उगाही की है। इसके अतिरिक्त बैंक ने मार्च, 2018 में अधिमानी आधार पर भारत सरकार को प्रति शेयर ₹144.62 के निर्गम मूल्य पर 31,28,19,803 इक्विटी शेयरों (प्रति शेयर ₹134.62 के शेयर प्रिमियम सहित) का आबंटन कर **₹4,524 करोड़ (रुपये चार हजार पाँच सौ चौबीस करोड़ मात्र)** की इक्विटी पूंजी एकत्रित की है।

भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब इक्विटी पूंजी को **₹6,850 करोड़ (रुपये छः हजार आठ सौ पचास करोड़ मात्र)** तक बढ़ाने की योजना है।

इस विशेष प्रस्ताव का उद्देश्य बोर्ड को यह अधिकार देना है कि वह ऐसे समय या समयों पर एक या अधिक बार में, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर तथा उन निवेशकों, जिनका उल्लेख यहां है तथा जिन्हें बोर्ड अपने सम्पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे, को इक्विटी शेयर जारी करे। इक्विटी शेयरों का निर्गम कब और कितनी बार किया जाए, इससे संबंधित विस्तृत शर्तों एवं निबंधनों का निर्धारण बोर्ड द्वारा व्यापारिक बैंकों, लीड मैनेजरो, सलाहकारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाए, से विचार-विमर्श के बाद किया जाएगा।

उपर्युक्त के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के माध्यम से जारी किये जाने वाले इक्विटी शेयरों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:

- सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VIII और/या अन्य लागू विनियमनों के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्यन की संबंधित तिथि वह तिथि होगी, जिसे अधिनियम की धारा 81(1ए) एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा लागू अन्य नियमों, कानूनों, विनियमनों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद निदेशक मंडल/या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत समिति अपनी बैठक में इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित इश्यू को खोलने का निर्णय लेती है।
- चूंकि प्रस्ताव का मूल्य बाद में ही निर्धारित किया जा सकता है, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों का मूल्य बताना संभव नहीं है, तथापि यह आईसीडीआर विनियमनों, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैटक) विनियमन 1998, समय-समय पर यथा संशोधित एवं लागू या अपेक्षित अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमनों/ सहमतियों के अनुसार ही होगा।
- पूर्णतः चुकता शेयरों का निर्गम एवं आबंटन केवल पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अनुसार किया जाएगा तथा

आबंटन का कार्य इस संकल्प के पारित होने के 12 महीनों के अंदर कर लिया जाएगा।

- प्रस्ताव से संबंधित विस्तृत शर्तों एवं नियमों का निर्धारण बोर्ड द्वारा सलाहकार(रों), लीड मैनेजर(रों), अभिगोपक(कों) तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी या प्राधिकारियों, जिन्हें बैंक द्वारा तत्कालीन बाजार की दशाओं तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर अपेक्षित समझा जाए, से विचार-विमर्श के बाद किया जाएगा।
- अधि आबंटन, प्रतिभूतियों के निर्गम की शर्तों के अनुसार यदि कोई हों, सहित इस प्रकार प्राप्त कुल राशि, पिछले वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार बैंक के नेटवर्थ के 5 गुने से अधिक नहीं होगी।
- मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अथवा सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के तहत समय-समय पर प्राप्त अनुमति को छोड़कर, आबंटन की तिथि से 1 वर्ष तक प्रतिभूतियां विक्रय/ अंतरण योग्य नहीं होंगी।
- आबंटित किए गए इक्विटी शेयर बैंक के लाभांश सहित हर प्रकार से वर्तमान इक्विटी शेयरों के समकक्ष मान्य होंगे।

आपके निदेशकगण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैटक की कार्यसूची से किसी भी निदेशक का कोई व्यक्तिगत संबंध या हित नहीं है।

2. शेयरधारकों के निदेशकों की नियुक्ति:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा (9)(3)(i) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से हमारे बैंक ने तीन निदेशकों यथा डॉ. रवींद्रराय एच. ढोळकिया, श्री गोपाल कृष्ण लाठ एवं डॉ. उत्तम कुमार सरकार का चुनाव किया है, जिन्होंने 27 जून, 2015 को कार्यभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 26 जून, 2018 को समाप्त हो रहा है।

उपर्युक्त रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से निदेशक मंडल वार्षिक साधारण बैठक में एक कार्यसूची के रूप में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव का प्रस्ताव करता है।

तदनुसार सभी शेयरधारक विभिन्न संबंधित अधिनियम/योजना/विनियमनों/ अधिसूचना/ केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों, संबंधित उद्घरणों/ भागों, जिन्हें यहां पुनः प्रतिरूपित किया गया है, की व्यवस्थाओं के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं। तीनों निदेशकों का चुनाव या तो शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकन की जांच और बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उनके फिट और उचित स्थिति के निर्धारण या वार्षिक साधारण बैठक में अनुवर्ती चुनाव के बाद किया जाएगा। इस प्रकार चयनित निदेशक 28 जून, 2018 से कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं पदभार ग्रहण करने के तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

ए. कानूनी प्रावधान

इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियमनों/योजनाओं/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं :

अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5(एनई) धारा 16(1) धारा 20	<ul style="list-style-type: none"> सारभूत हित सामान्य निदेशकों को निषेध किसी निदेशक को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम दिये जाने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए)(ए) से (सी) तक धारा 9(3ए ए) व धारा 9(3ए बी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> मतदान अधिकार पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान कोई व्यक्ति निदेशक चुने जाने के लिए उस समय तक योग्य नहीं होगा यदि वह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी और अन्य ऐसे मानदंडों पर खरा (योग्य एवं उपयुक्त) नहीं उतरता. धारा 9(3ए) व धारा 9(3ए ए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले चुने गए निदेशकों को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक का अधिकार गोपनीयता व निष्ठा का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> चुने गये निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक चुने जाने की अपात्रताएं कार्यालय का निदेशक पद खाली होना चुने गये निदेशक को हटाया जाना चुने गये निदेशक का रिक्त पद भरा जाना अपने हित वाली कतिपय व्यवस्थाओं में निदेशकों के अपने हितों का प्रकटन
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर व बैठक विनियम, 1998 (2009 तक "संशोधित")	विनियमन 10 विनियमन 61 विनियमन 63 विनियमन 64 विनियमन 65 विनियमन 66 विनियमन 67 विनियमन 68 विनियमन 69 विनियमन 70	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग साधारण बैठक में वोट डालना साधारण बैठक में चुने जाने वाले निदेशक शेयरधारकों की सूची चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन नामांकन की जांच चुनावी विवाद वोट देने के अधिकारों का निर्धारण विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान परोक्षी
भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 व 47/ 29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी सं. बीसी सं. 95/29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3ए ए) और धारा 9(3ए बी) के अनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड हेतु चुने गये निदेशकों के लिए योग्य एवं उपयुक्त का मानदंड

अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी संदर्भ एफ़ पत्र क्र.16/83/2013 -BO.I दिनांक 3 सितंबर 2013 एवं 25 मार्च 2015 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर- सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड
भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2014.		निदेशकों के संबंधियों को ऋण व अग्रिम देना

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना/विनियमन के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी क्र. बीसी क्र. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 और डीबीओडी क्र. बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संबंधित उद्घरण बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर दिए गए हैं. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कंपनी सचिव को उनके मुख्य कार्यालय में नामांकन फार्म जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् 11 जून, 2015 तक या उससे पूर्व अनुरोध प्राप्त होने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल द्वारा भी भेज दिया जाएगा.

बी) चुनाव में भागीदारी :

जैसाकि पहले संकेत दिया गया है कि केंद्र सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल के रजिस्टर में **निर्दिष्ट-तारीख अर्थात् शुक्रवार 18 मई, 2018** को शेयरधारकों/हितग्राहियों के रूप में हों वे शेयरधारकों में से निदेशकों के चयन के लिए **नामांकन करने, भाग लेने और वोट देने** के लिए पात्र होंगे.

सी) बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए आवश्यक पात्रता

अधिनियम के धारा 9(3 ए) के अनुसार, उम्मीदवार जो बैंक के शेयरधारक होने के नाते, अधिनियम के धारा 9(3)(i) के तहत बैंक के निदेशक के रूप चुने जाने की इच्छा रखता है तो -

- निम्नलिखित एक या एक से अधिक विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए अर्थात्:
 - कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - को-ऑपरेशन
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होना, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, (बैंक के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेश परिपत्र क्र. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17

दिनांक 24 नवंबर, 2016 द्वारा उक्त पद की विशेषज्ञता में (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन (v) कारोबार प्रबंधन को शामिल किया है.

- जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो ; या
- किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो

भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना और अधिनियम के धारा 9(3ए) के अनुसार, बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक चुने जाने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार को फिट और उचित स्थिति में होना चाहिए.

इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को अनुबंध विलेख को निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करना होगा.

डी . बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने की अपात्रता

- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार, व्यक्ति को बैंक के निदेशक के रूप में चयनित होने के लिए अपात्र होगा यदि:
 - यदि उसे किसी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान निलंबित किया गया हो या ऋणदाताओं के साथ गलत समझौता किया हो; या
 - यदि उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया हो और सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है; या
 - यदि उसे नैतिक भ्रष्टता जैसे अपराध के लिए दंड न्यायालय द्वारा अपराधी ठहराया गया हो; या
 - यदि उसने किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के धारा 3 के उप धारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक (सहायोगी बैंकों) अधिनियम, 1959 के धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक में लाभ का पद ग्रहण किया हो, अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ़) के तहत बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक के सिवाय.
- यदि वह व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना-डीबीओडी न. बीसी न 46/29.39.001/2007-08 और डीबीओडी न. 47/29.39.001/2007-08

दिनांक 01.11.2007 के अनुसार बैंक के निदेशकों के नामांकन समिति द्वारा फिट और उचित नहीं पाया जाता हो.

3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचारार्थ, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा न करता हो.

ई. शेयरधारकों की सूची

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैटकों) विनियमन, 1998 के विनियमन 64 में संशोधन के रूप में दिया गया है कि शेयरधारकों को शेयरधारकों के सूची की प्रति (इलेक्ट्रॉनिक रूप में अर्थात् सीडी या ऐसे अन्य मीडिया) की खरीद के लिए "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में मुंबई में देय अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा ₹50,000 (रुपये पचास हजार मात्र) के भुगतान पर शेयरधारकों के सूची की प्रति 18 मई 2018 से बैंक के केंद्रीय कार्यालय में उपलब्ध होगी. उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवार **कंपनी सचिव, निवेशक सेवा प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12वां माला, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021** को संबोधित करते हुए एक अनुरोध पत्र इस वचन के साथ लिखेंगे कि सूची का प्रयोग निर्वाचन के प्रचार के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन जो भी हो के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा.

एफ. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

प्रतिभागियों को शेयरधारकों के रजिस्टर के किसी भी हिस्से से निष्कर्ष लेने के लिए शेयरधारकों के रजिस्टर को केंद्रीय कार्यालय में प्रातः 11 से सायं. 4 के बीच सभी कार्यदिवस (दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और बैंक अवकाश को छोड़कर) में बैंक के शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए खोला जाएगा. यदि किसी शेयरधारक को इस चुने/भाग के सूचना की कम्प्युटर प्रिंट या प्रति चाहिए तो प्रत्येक 1,000 शब्दों के लिए या इसके आंशिक भाग के प्रतिलिपि के लिए ₹5 के दर से भुगतान पर इसकी आपूर्ति की जाएगी.

जी. चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना डीबीओडी न. बीसी न 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 जो डीबीओडी न. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 पढ़ा जाएगा और भारत सरकार द्वारा जारी संदर्भ फ. न.16/83/2013-BO.I द्वारा पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 के अनुसार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और 25 मार्च 2015, 20 जून 2016 (भारत सरकार के दिशानिर्देशों) को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचाराधीन हेतु केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंड और विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों, दिशानिर्देशों, निर्देशों के अनुसार निदेशक के रूप में चयनित किए जाने हेतु उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार होगा बशर्ते :

- ए) चुनाव में भागीदारी के लिए **निर्दिष्ट-तारीख शुक्रवार 18 मई 2018** को उस शेयरधारक के पास बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर

होने चाहिए और बैटक की तिथि और यदि उसका चयन होता है तो उसके कार्यकाल की समाप्ति तिथि तक न्यूनतम 100 शेयरों के होने का वचन दे.

- बी) नामांकन भरने की अंतिम तारीख **मंगलवार 12 जून 2018** को, अधिनियम / योजना / विनियमन / आरबीआई अधिसूचना / जीओआई दिशानिर्देशों के तहत निदेशक के पद के लिए अपात्र ठहराया नहीं गया हो.

- सी) निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरों के धारकों या उनके द्वारा गठित प्रतिनिधियों द्वारा लिखित नामांकन भरना होगा, यदि शेयर होल्डर कंपनी हो तो निदेशकों द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए और इस संकल्प की प्रति, उस बैटक के अध्यक्ष से प्रमाणित करवाकर, बैंक के केंद्रीय कार्यालय को, कंपनी सचिव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भेजी जाए तथा ऐसी प्रति कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा.

- डी) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) को न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्टार या बीमा कंपनियों के सह-रजिस्ट्रारों या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और उम्मीदवार के घोषणा के साथ वैध नामांकन देना है कि वह नामांकन को स्वीकार करता/करती है और चुनाव में खड़े होने के लिए इच्छुक है, तथा वह अपने विधिवत रूप से हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) के साथ निदेशक चुने जाने के लिए लागू भारत सरकार के दिशानिर्देशों या विनियमनों या योजना विनियमन अधिनियम या अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए अपात्र ठहराया नहीं गया है और पुष्टि करता / करती हूँ कि दी गई जानकारी मेरी सूचना इस घोषणा के बाद, इससे संबंधित किसी भी घटना से तुरंत अवगत करवाया जाएगा. नामांकन और घोषणा का प्रारूप इस सूचना में संलग्न है.

- ई) नामांकन फॉर्म और घोषणा पत्र इस सूचना (प्रोफॉर्म बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.com पर भी उपलब्ध है) में अनुलग्नक प्रोफॉर्म के अनुसार और विनियमन द्वारा निर्धारित प्रारूप में है.

- एफ) निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध उपबंधों) योजना 1970 या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैटकों) विनियमन 1998 (इसके बाद "विनियमन" के रूप में संदर्भित किया गया) और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिसूचना क्र. डीबीओडी न. बीसीएनओ. 46/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 और 25 मार्च 2015, 20 जून, 2016 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के गैर-सरकारी निदेशक के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड या समय समय पर जारी ऐसे अन्य दिशानिर्देशों के तहत उसे अपात्र ठहराया नहीं गया हो.

एच. नामांकन फॉर्म की प्रस्तुति

केंद्र सरकार के अलावा, शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए इच्छुक शेयरधारकों को इस सूचना में अनुलग्नक प्रारूपों को भरकर सीलबंद लिफाफे में कंपनी सचिव, निवेशक सेवा प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 12 वां माला, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 को वार्षिक साधारण बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 14 दिन पहले अर्थात् मंगलवार 12 जून 2018 को 5:00 बजे बैंक की कार्य-समय तक या उससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में निम्नलिखित दस्तावेज भेजने होंगे:

- विधिवत रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र.
- चुनाव में भाग लेने के पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों से प्राप्त वैध नामांकन;
- सूचना में संलग्नक प्रारूपों में व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा पत्र और वचन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेजों, प्रमाणों अर्थात् बायो डाटा की स्वप्रमाणित प्रतियाँ, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र आदि.
- उक्त नामांकन फॉर्म और अन्य दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण होने चाहिए अन्यथा नामांकनों को निरस्त किया जा सकता है.

आई) नामांकन की जांच एवं निदेशकों का चुनाव :

- नामांकन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के बाद, पहले दिन अर्थात् बुधवार, 13 जून 2018 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और कोई नामांकन वैध न हो, तो उसका कारण रिकॉर्ड करते हुए, नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा.
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिसूचना तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार, बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा वैध नामांकन की जांच की जाएगी.
- बैंक नामांकन की जांच करते समय या बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा दी गई सलाह के आधार पर, उम्मीदवार से उसके उम्मीदवारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज की मांग कर सकते हैं.
- यदि चुनाव द्वारा तीन रिक्तियों को भरने के लिए केवल तीन वैध नामांकन है, तो नामित उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम एवं पता निर्वाचित निदेशकों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा. यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो कार्यसूची मद संख्या 3 वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाएगी. नवनिर्वाचित निदेशक 28 जून, 2018 से कार्यभार ग्रहण करेंगे.

ई) यदि तीन से अधिक नामांकन वैध मिलते हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे एवं चुनाव आयोजित किए जाएंगे और ई-वोटिंग तथा बैठक में हुए मतदान में मिलाकर बहुमत वोट पाने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा और घोषित कर उनके नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.

जे. उम्मीदवारी वापस लेना

यदि कोई प्रतिभागी अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहता है तो वह बैंक की कार्यावधि अर्थात् शनिवार, दिनांक 22 जून, 2018 को सायं. 5.00 बजे से पूर्व कभी भी बैंक के कंपनी सचिव, निदेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक भवन, 239 विधान भवन मार्ग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 के पते पर पत्र प्रेषित कर अथवा 022-22025238 नंबर पर फ़ैक्स भेजकर अथवा investorservices@unionbankofindia.com पर हस्ताक्षरित व स्कैन किए हुए पत्र को भेजकर ऐसा कर सकता है.

के. विवाद

यदि किसी प्रकार का कोई विवाद हो, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियमन, 1998 यथा संशोधित नियमन 67 के अनुसार किया जाएगा.

एल. सारांश:

जैसाकि नोटिस में पहले ही उल्लेख किया गया है कि लागू अधिनियम/ योजना/विनियमनों/ अधिसूचना/भारत सरकार के दिशानिर्देशों का सारांश बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर शेयरधारकों की सुविधा के लिए अपलोड है. चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक यदि चाहे तो इसके लिए बैंक के कंपनी सचिव को डाक द्वारा अथवा www.investorservices@unionbankofindia.com पर ई-मेल द्वारा भी लिख सकते हैं एवं बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा.

एम. निदेशकों का हित:

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता तक एवं नामांकन फाइल करने वाले ऐसे निदेशक उक्त कारोबारी मद से संबद्ध और इच्छुक माना जाएगा.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

राजकिरण रै जी

(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 10 मई, 2018

NOTICE

NOTICE is hereby given that the **Sixteenth** Annual General Meeting (“**AGM**”) of the Shareholders of Union Bank of India (“**Bank**”) will be held on **Wednesday, 27th June, 2018 at 11.00 A.M.** at **Rama & Sundri Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai – 400020** to transact the following:

Ordinary Business:

Item No. 1

To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2018**, Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors’ Report on the Balance Sheet and Accounts.

Special Business:

Item No. 2

To raise Capital through FPO/Rights/QIP/Preferential allotment etc.

To consider and if thought fit, to pass with or without modifications, the following resolution as a Special Resolution:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“**Act**”), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (“**Scheme**”) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“**RBI**”), the Government of India (“**GOI**”), the Securities and Exchange Board of India (“**SEBI**”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“**ICDR Regulations**”) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“**Listing Regulations**”) as amended from time to time, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “**the Board**” which shall be deemed to include any Committee which the Board may

have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares, upto **₹6,850 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred and Fifty crore only)** (including premium, if any) which together with the existing Paid-up Equity Share Capital of **₹1,168.57 crore (Rupees One Thousand One Hundred Sixty Eight Crore and Fifty Seven Lakhs Only)** will be within **₹3,000 Crore (Rupees Three Thousand Crore Only)**, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“**NRIs**”), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers (“**QIBs**”) like Foreign Institutional Investors (“**FIIs**”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of public issue (i.e. Follow-on-Public Issue) and/ or rights issue and/or private placement, including Qualified Institutional Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, ICDR Regulations, Listing Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with

the lead managers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutional Placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations:

- a) The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution.”

- b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 85(1) of ICDR Regulations authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

Item No. 3

To elect THREE Directors from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (hereinafter referred to as the “Act”) read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred as “the Regulation Act”), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 (hereinafter referred to as the “Scheme”) and the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification Nos. DBOD No. BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with Notification No. DBOD. No. BC. No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as “RBI Notification”) and Letter No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on 25th March, 2015, 20th June 2016 and amendments made thereafter (hereinafter referred as “GOI Guidelines”) and AFTER ELECTION pass with or without modifications the following resolution as an Ordinary Resolution:

“**RESOLVED THAT** _____, _____ and _____ elected as Directors from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification, GOI Guidelines, be and are hereby appointed as Directors of the Bank to assume office from **28th June, 2018** and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption of office as Directors”.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Rajkiran Rai G.)

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date : 10th May, 2018

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business agenda 2 and 3 of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy (other than an officer or an employee of the bank) to attend and vote instead of himself/herself and the proxy need not be a shareholder of the bank. As per Regulation 70(vi) of Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed in the Annual Report.

The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office of the Bank addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021**, not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at **5.00 p.m. on Friday, 22nd June, 2018** together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Friday, 22nd June, 2018**.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is also dispatched along with this Report, with requisite details pre-printed with the e-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using remote e-voting platform. Those who do not exercise remote

e-voting facility can cast their vote by using e-voting facility available at the venue of the meeting on the date of the AGM. Such Shareholders/ Proxy holders / Authorized Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill-in blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The Attendance Slip-Cum-Entry Pass is to be surrendered at the time of entry to the venue of the AGM.

5. LODGEMENTS FOR TRANSFERS

Share Certificate/s along with transfer deed/s should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) for affecting the transfer.

6. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Thursday, 21st June, 2018 to Wednesday, 27th June, 2018** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

7. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's RTA or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. While the Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2009-10 to IEPF, for the details of unpaid dividend from FY 2010-11, the Shareholders may visit unclaimed dividend search facility made available on Bank's website under following link: <http://eremit.unionbankofindia.co.in/UnclaimedDividendProcedure> to claim unclaimed dividend and requisite forms are also made available on the above link.

8. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE

- a) The Bank for payment of dividend uses the details of Bank Account registered with the NSDL/CDSL and downloaded by RTA from the respective Depository. Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account should be updated with their respective Depository Participant so as to get updated before the commencement of the Book closure. The Bank or its RTA cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to send formal request application duly signed along with a valid documentary evidence for updation of any change of address and for updation of Bank Account Details send formal request application duly signed along with a cancelled cheque to the Bank's RTA at the following address:
- Datamatics Business Solutions Ltd.,**
Unit: Union Bank of India,
Plot No. B-5, Part B,
MIDC, Crosslane, Marol,
Andheri (East),
Mumbai – 400 093.
- c) The format for providing Bank details is annexed to the Annual Report and is also available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in.
- d) Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.
- e) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

9. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Datamatics Business Solutions Ltd., immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

10. CONSOLIDATION OF FOLIOS

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the RTA of the Bank, Datamatics Business Solutions Ltd., for consolidation into a single folio.

11. COPIES OF ANNUAL REPORT

Please note that copies of the Annual Report 2017-18 in physical form shall be dispatched using the services of Indian Post/Courier to those Shareholders who have not registered their Email IDs with the Bank and in soft copy by Email to those shareholders who have registered their Email IDs with the Bank/DP. The Annual Report shall also be hosted on the website of the Bank. The Annual Report will not be distributed at the AGM and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

12. SPECIFIED AND CUT OFF DATE

a) SPECIFIED-DATE FOR ELECTION:

Pursuant to Regulation 12 of the Regulations, **Friday, 18th May, 2018** is fixed as Specified Date for the purpose of determining the shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate, Contest and Vote** in the Election of **THREE** directors representing the shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in agenda item no. 3 of the Notice.

b) CUT-OFF DATE FOR E-VOTING FOR OTHER AGENDA ITEMS:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, Voting Rights of the shareholders in respect of **agenda items no. 1 & 2** shall be reckoned as on **Wednesday, 20th June, 2018**.

13. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank**.

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date i.e. Friday, 18th May, 2018 and Cut-Off Date i.e. Wednesday, 20th June, 2018**, shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible to nominate, contest and vote in the Elections.

14. INFORMATION ON ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the AGM so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the AGM.

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

The Shareholders who are holding shares in physical mode are requested to convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective demat account.

16. E-VOTING


- I. Pursuant to provisions of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Bank is pleased to provide to shareholders the facility to exercise their right to vote at the AGM by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services.
- II. The facility for voting shall also be made available at the venue of the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through voting at the venue.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from a place other than venue of the AGM (“remote e-voting”) and Voting at the Venue will be provided by **Central Depository Services (India) Limited (CDSL)**.

V. The remote e-voting period commences on **Saturday, 23rd June, 2018 (9:00 am IST) and ends on Tuesday, 26th June, 2018 (5:00 pm IST)**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **Specified Date i.e. Friday, 18th May, 2018** may cast their vote by remote e-voting for **agenda item no. 3**. Further, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Wednesday, 20th June, 2018** may cast their vote by remote e-voting for **agenda item no. 1 & 2**. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

VI. The process and the manner for remote e-voting are as under:

- (i) Log on to the e-voting website - **www.evotingindia.com**
- (ii) Click on  tab to cast your vote.
- (iii) Now Enter your User ID and the Image Verification as displayed and Click on Login.



- (a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- (b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- (c) Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank

- (iv) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company or Bank, then your existing password is to be used.
- (v) If you are a first time user follow the steps given below:

User ID *	<input type="text"/>
PAN *	<input type="text"/>
Any one of the details given below has to be mentioned for the first time login. Kindly enter the details as available on the demat account or folio number.	
Bank Account Number #	<input type="text"/>
DOB or Date Of Inc. #	<input type="text"/> (dd/mm/yyyy)
<input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Forgot Password"/>	
<small>* Field Mandatory. # Any one filed should be mandatorily entered.</small>	

PAN	<ul style="list-style-type: none"> Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Attendance Slip cum Entry Pass indicated in the PAN field or provided in the Email sent to you by CDSL.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	<ul style="list-style-type: none"> Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in DD/MM/YYYY format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

- (vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (vii) Members holding shares in Physical Form will then directly reach the Company selection screen.
- (viii) Members holding shares in Demat Form will now reach 'Password Creation' menu wherein

they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. **It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.**

Kindly set a password for your login.	
Member Id:	<input type="text"/>
New Password*:	<input type="text"/>
Confirm Password*:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Click to use Virtual Keyboard	
<input type="button" value="Submit"/>	

- (ix) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (x) Click on the EVSN of "**Union Bank of India.**"
- (xi) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" for agenda item no. 1 & 2 and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xii) For voting on agenda item no. 3 i.e. Election of Shareholder Directors, you will see name of candidates and against the same the option to vote. You can vote for maximum 3 candidates.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

Please enter your details here, only if you are a demat account holder and have registered earlier. If you wish to create a password of your choice, please enter User ID, PAN and DOB or Bank Details.

User ID *

PAN *

Email Id #
Expected: *****@*****.COM

Mobile No. #
Expected: *****

Bank Account Number #
Expected: *****

DOB or Date of Inc. # (dd/mm/yyyy)

Enter the Characters Displayed *

726527

[Refresh](#)

* Field Mandatory.
Any one field should be mandatorily entered.

- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

- (xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.

- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

VII. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

VIII. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Deputy Manager, Central Depository Services (India) Limited (CDSL), A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533.

IX. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the specified date and / or cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the venue.

X. M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co. (SNA&CO), Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

XI. The Chairman of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are present at the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.

XII. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, but not later than 48 hours of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or any other person authorised by him.

17. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of Remote E-Voting and Voting at the venue alongwith the report of the

Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com immediately after the declaration of result. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges.

18. SCRUTINIZERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for E-Voting, SNA&CO, Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of Agenda Items No. 1-3. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

The E-voting on the Election shall be conducted under the supervision of Chief Returning Officer appointed by the Bank, SNA&CO (Independent Consultant & Scrutinizer) and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer and second Scrutinizer.

EXPLANATORY STATEMENT

1. ISSUE OF CAPITAL THROUGH FPO/RIGHTS/QIP ETC.

The Basel III regulations require that the banks should maintain a minimum common equity tier 1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of Equity Share Capital, Tier 1 ratio (including CCB) of 9.50% and overall CRAR (including CCB) of 11.50% by 31st March, 2019.

With the increasing capital requirements on account of increasing requirement of capital conservation buffer of 0.625% every year (till FY 2019), future expansion & growth of the Bank and consequent capital charge, the Bank is required to raise capital for complying the BASEL III requirement, growth of the Bank as well as further strengthening the capital adequacy.

Based on the estimated growth your Directors have decided to raise Equity Share Capital up to **₹6,850 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred and Fifty crore only)** including capital infusion from the Government of India. The Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutional Placements and/or preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Bank had obtained shareholders approval in the AGM held on 23rd June, 2017 for raising Equity Share Capital up to **₹4,950 crore (Rupees Four Thousand Nine Hundred and Fifty Crore Only)** through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private

Placement, including Qualified Institutional Placements and/or preferential allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI ICDR regulations, which is valid up to 22nd June, 2018.

The Bank raised Equity Capital of **₹2,000 crore (Rupees Two Thousand Crore Only)** by allotment of 12,93,24,280 equity shares at an issue price of ₹154.65 per share (including share premium of ₹144.65 per share) to Qualified Institutional Buyers pursuant to the Qualified Institutions Placement (QIP) by the Bank in December, 2017. Further, the Bank raised Equity Capital of **₹4,524 crore (Rupees Four Thousand Five Hundred and Twenty Four Crore Only)** by allotment of 31,28,19,803 equity shares on preferential basis at an issue price of ₹144.62 per share (including share premium of ₹134.62 per share) to the Government of India in March, 2018.

Keeping in view of future requirements, it has been planned to raise Equity Share Capital up to **₹6,850 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred and Fifty crore only)** as indicated above.

The special resolution seeks to give the Board, powers to issue equity shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices and to such of the investors as mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Banker(s), Lead Manager(s), Advisor(s) and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by the way of Qualified Institutional Placements, it will be ensured that:

- i. The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would, pursuant to Chapter VIII of the SEBI (ICDR) Regulations, and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or duly authorized committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval in terms of Section 81 (1A) and other applicable provisions, if any of the act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- ii. As pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and

- the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required;
- iii. The issue and allotment of the fully paid shares be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 12 months of the date of passing the above resolution;
 - iv. The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with Advisor(s), Lead Manager(s) and Underwriter(s) and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements;
 - v. The total amount raised in such manner, including the overallotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited balance sheet of the previous financial year;
 - vi. The securities shall not be eligible to be transferred/sold for a period of 1 year from the date of allotment, except on a recognized stock exchange or except as may be permitted from time to time by the SEBI (ICDR) regulations;
 - vii. The equity shares allotted shall rank pari passu in all respect with the existing equity shares of the Bank including dividend.

Your Directors recommend passing of the Resolutions as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are personally concerned or interested in this agenda of the meeting.

2. ELECTION OF SHAREHOLDER DIRECTORS

In terms of section (9)(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, your Bank had elected three Directors viz. Dr. Ravindrarai H. Dholakia, Shri Gopal Krishan Lath and Dr. Uttam Kumar Sarkar from amongst the shareholders other than Central Government, who assumed charge on 27th June, 2015 and their term ends on 26th June, 2018.

With a view to fill in the vacancies as aforesaid, the Board of Directors propose to conduct an election of shareholder Directors as one of the agenda items at the AGM.

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification / Directions from the Central Government, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. Three directors will be elected either after the scrutiny of the nominations which the Shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination Committee of the Board or subsequent election at the Annual General Meeting. A Director so elected shall assume office from 28th June 2018 and will hold office for a period of three years from the date of such assumption.

Your Directors recommend passing of the Resolutions as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are personally concerned or interested in this agenda of the meeting.

A. LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	<ul style="list-style-type: none"> • Substantial Interest • Prohibition of Common Directors • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) & Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	<ul style="list-style-type: none"> • Restriction on voting rights • No. of directors to be elected by the shareholders • Special knowledge in certain fields • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
		<ul style="list-style-type: none"> • Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	<ul style="list-style-type: none"> • Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the Bank • Vacation of office of Director • Removal from office of an elected Director • Filling of casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Amended upto 2009)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	<ul style="list-style-type: none"> • Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at General Meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non-official director in Public Sector Banks issued on March 25 th , 2015.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1st July 2014		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. DBOD. No. BC.No.46and47/29.39.001/2007-08dated01.11.2007 and No. DBOD.BC. No. 95 / 29.39.001 / 2010-11 dated 23.05.2011 and GOI Guidelines is hosted in the Bank's website www.unionbankofindia.co.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Union Bank of India at their Head Office on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. 11th June 2015.

B. PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i.e., on **Friday, 18th May, 2018** shall be entitled to participate i.e. **nominate, contest and vote** in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

C. QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3) (i) of the Act shall -

1. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely:-
 - i. agriculture and rural economy
 - ii. banking
 - iii. co-operation
 - iv. economics
 - v. finance
 - vi. law
 - vii. small scale industry
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank (RBI vide its circular no. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)
 2. represents the interest of depositors; or
 3. represents the interest of farmers, workers and artisans
- In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI

Notification candidate being a shareholder of the Bank, who desires to be a Director of the Bank, should possess 'Fit and Proper' status.

Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

D. DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

1. In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - i. if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - ii. if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - iii. if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - iv. if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
2. If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Notification of Reserve Bank of India -DBOD. No. BC. No. 46/29.39.001/2007-08 and DBOD No. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.
3. If he is not found to be satisfying the criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks.

E. LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD or such other media) will be available at the Head Office of the Bank from **18th May, 2018** onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000 (Rupees Fifty Thousand only) by Demand Draft/Pay Order of

Scheduled Bank in favor of “Union Bank of India” payable at Mumbai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021** with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

F. INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders will be open for inspection by the Shareholders, at the Central Office of the Bank on all working days (other than 2nd & 4th Saturday, Sundays and Bank Holidays) between 11.00 a.m. to 4 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same shall be supplied to him on payment at the rate of ₹5 for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

G. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and Notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a non official director in Public Sector Banks issued on 25th March, 2015, 20th June 2016 and amendments made thereafter (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts, Guidelines, Directives, nomination of a candidate for election as a Director shall be accepted provided:

- He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday, 18th May, 2018** being the **Specified Date** of reckoning for participation in the election and undertakes to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- As on **Tuesday, 12th June, 2018** being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notifications/GOI Guidelines.
- The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to

elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Union Bank of India and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

- The valid nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or Regulation Act or the Scheme or the Regulations or applicable GOI guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration. A specimen form of Nomination and Declaration is furnished in this notice.
- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this notice (The proforma is also available on the Bank’s website www.unionbankofindia.co.in).
- He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as “the Regulations”) and Notification No. DBOD No.BCNO.46/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 of Reserve Bank of India and Criteria laid down by the Government for Non Official Directors of the Public Sector Banks issued on 25th March, 2015, 20th June, 2016 or such other directives as may be issued from time to time from being elected as a director.

H. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the

shareholders, other than the Central Government, should submit following documents in formats annexed to this notice, in a sealed envelope to the **Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021** on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the AGM i.e. **on or before closing hours of the bank at 5.00 p.m. on Tuesday, 12th June 2018:**

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Valid Nominations from minimum of hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.,
- d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which the nominations are liable to be rejected.

I. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) Nominations shall be scrutinized on **Wednesday, 13th June 2018**, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination Committee of the Board in terms of the RBI Notification and GOI Guidelines.
- c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.
- d) If there are only upto **three** valid nominations for three vacancies to be filled by the election, the candidate(s) so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. The newly elected director(s) will assume office on **28th June, 2018**. In such an event or in case no nomination is found valid, the **Agenda Item No. 3** at the AGM will not be conducted.
- e) If there are more than **three** valid nominations, the names of the candidates shall be published

in the newspapers and Election will be held and candidate polling the majority of the votes i.e. aggregate of e-voting and Poll at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

J. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. **on or before 5.00 p.m. on Friday, 22nd June, 2018** by sending a letter addressed to Company Secretary, Investor Services Division, Union Bank of India, 12th Floor, Union Bank Bhavan, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400021 or sending fax at 022-22025238 or scanned and signed letter over e-mail at “investorservices@unionbankofindia.com”.

K. DISPUTES

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended.

L. EXTRACTS

As already mentioned elsewhere in the notice, extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank’s website www.unionbankofindia.co.in for the benefit of the shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may also write to the Company Secretary of the Bank by post or email on investorservices@unionbankofindia.com and the Bank will provide the same.

M. INTEREST OF DIRECTORS

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



(Rajkiran Rai G.)

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date : 10th May, 2018